

UPJS010064412022



न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झाँसी ।

उपस्थित- जफ़ीर अहमद, एच०जे०एस०

JO Code No- UP06533

CNR N. UPJS01006441- 2022

दाण्डिक पुनरीक्षण सं०- २२७ सन २०२२

उदयभान

बनाम

उ०प्र०सरकार आदि

दिनांक: २१- ०२- २०२३

पत्रावली पेश हुई । पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिकता उपस्थित । पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण मैमो पर एवं आदेश पत्र के हांसिये पर बल न दिये जाने का पृष्ठांकन किया गया है ।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण न्यायालय पीठासीन अधिकारी अतिरिक्त न्यायालय झाँसी द्वारा परिवाद सं०- ३००९/ २०१८ उदयभान बनाम प्रदीप कुमार राजपूत अन्तर्गत धारा १३८ एन०आई०एक्ट में पारित निर्णय दिनांक ०१- ११- २०२२ के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है ।

उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण परिवादी की ओर से कम सजा के करने के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है । प्रत्यर्थी/ अभियुक्त की ओर से आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध दाण्डिक अपील सं०- १८० सन २०२२ भी प्रस्तुत की गयी थी, जो उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत सुलहनामा के आधार पर राष्ट्रीय लोक अदालत में दिनांक १२- ०२- २०२३ को निस्तारित की जा चुकी है । अतः प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण निष्प्रयोज्य हो चुकी है । ऐसी स्थिति में प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण को लम्बित रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है ।

अतः प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण निष्प्रयोज्य होने के कारण निरस्त किया जाता है । पत्रावली दाखिल अभिलेखागार हो ।

दिनांक: २१- ०२- २०२३

(जफ़ीर अहमद)

सत्र न्यायाधीश,

झाँसी ।